

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर।
बन्दोबस्ती-आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंगेर जिलान्तर्गत महाल गिर्द किला तौजी नं०- 1333, खाता नं०- 317, खेसरा नं०-400 पर अवस्थित नगर निगम, मुंगेर के निम्नांकित सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 01 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक (एक वर्ष) के लिए उनके नाम के सामने अंकित तिथि (क) दि०-17/12/2018 को 12.30 बजे अपराह्न से नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती न होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	सैरातों का नाम	सुरक्षित जमा की गई राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	प्राइवेट बस पड़ाव	17,22,771=00	08,61,386=00	क- 17/12 /2018 ख- 19/12 /2018 ग- 21/12/ 2018 समय-अपराह्न 12.30 बजे से
02	प्राइवेट टैक्सी स्टैण्ड	24,26,550=00	12,13,275=00	क- 17/12 /2018 ख- 19/12 /2018 ग- 21/12/ 2018 समय-अपराह्न 12.30 बजे से

आवश्यक शर्तें

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के एक दिन पूर्व (राजकीय एवं रविवार अवकाश को छोड़कर) सुरक्षित जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के नाम से बैंक ड्राफ्ट, डाक की तिथि से एक दिन पूर्व रोकड़पाल के पास जमा करना होगा। डाक के दिन कोई राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को बकाया नहीं रहने का प्रमाण-पत्र इस आशय का शपथ-पत्र जमा करना होगा।
3. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व जिला पदाधिकारी /आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सफल डाक वक्ता की जमानत राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष राशि स्वीकृत डाक वक्ता को डाक के तुरंत बाद एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा, एवं असफल डाक वक्ताओं की जमानत राशि डाक के बाद वापस कर दी जाएगी।
5. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा नगर आयुक्त द्वारा ही मान्य होगा।
7. पूर्व से निर्धारित दर पर ही टॉल टैक्स वसूली करेंगे जो निम्न प्रकार हैं-
(क) बस/कोच/बड़ी गाड़ी - 80/- रुपये (अस्सी) प्रतिदिन
(ख) टाटा/ मैक्सी - 50/- रुपये (पचास) प्रतिदिन
(ग) ट्रेकर / जीप/टैम्पु - 30/- रुपये (तीस) प्रतिदिन
8. बंदोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी०एस०टी०, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
9. इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिडूल-1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय डाक को रद्द या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

महापौर
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापक:- 2637 / सा10

दिनांक:- 27.11.18

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि विभागीय सूचना पट पर इन्हें प्रकाशित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।